न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –68/2019 (Bank Case)

"ए.यू. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इंडिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान

— प्रार्थी वित्तीय संस्था.

बनाम

1. श्री कमलेश मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा (ऋणी)
   पता– 81, सुभाष नगर, वार्ड नं.3, रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान 326519
2. श्री रंगलाल मीणा पुत्र श्री भंवरलाल मीणा (बंधककर्ता/सहऋणी)
   पता– 81, सुभाष नगर वार्ड नं0 3, रामगंजमण्डी–321819
   दुसरा पताः– प्लॉट नं. 34, खसरा नं0 655, सुभाष कॉलोनी, राजा साहब ग्राम खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–325619
3. राजेश मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा (सह–ऋणी)
   पता– 81, सुभाष नगर, वार्ड नं0 3, रामगंजमण्डी, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519
4. श्रीमति मनोहर बाई पत्नि श्री रंगलाल मीणा (सह–ऋणी)
   मकान नं0 61, मीणा मोहल्ला, पामाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. दुर्गालाल मीणा पुत्र श्री जयसिंह (जमानती)
   सुभाष कॉलोनी, वार्ड नं0 1, रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 (1) (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

उपस्थित

1. श्री कुलदीप सिंह जादौन, अधिवक्ता, बैंक की ओर से

निर्णय

दिनांकः 12.06.2019

प्रार्थी "ए.यू. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इंडिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर से अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 08.10.2014 को ऋण रूपये 10,00,000/– (अक्षरेः दस लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अपनी अचल **सम्पत्ति श्री रंगलाल मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा के नाम प्लॉट नं0 34, खसरा नं0 655, सुभाष कॉलोनी, राजा साहब ग्राम खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326519 जिसका कुल क्षैत्रफल 1800 स्क्वायर फुट है । जिसका पट्टा कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा कमांक–न.पा.रा./भूमि/नियमन/आवंटन/957 दिनांक 23.01.2013 से जारी किया गया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 31.01.2013 को किया गया है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में

जिला कलेक्टर कोटा

Scanned by CamScanner

व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.06.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 9,09,282/- (अक्षरे रूपये नौ लाख, नौ हजार, दौ सौ बंयासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 16.08.2017 तक शेष देय है व दिनांक 17.8.2017 के पश्चात ब्याज एवं अतिरिक्त खर्चे पूर्ण भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "पंजाब केसरी" में दिनांक 7.10.2017 को एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "एक्सप्रेस नेटवर्क" में दिनांक 7.10.2017 को प्रकाशन भी कराया,** इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र पंजाब केसरी में दिनांक 7.10.2017 को एवं अंग्रेजी समाचार पत्र एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 7.10.2017 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद** ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.08.2017 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र पंजाब केसरी में दिनांक 7.10.2017 को एवं अंग्रेजी समाचार पत्र एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 7.10.2017 को प्रकाशन भी कराया, इसके** पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं **अचल सम्पत्ति श्री रंगलाल मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा के नाम प्लॉट नं0 34, खसरा नं0 655, सुभाष कॉलोनी, राजा साहब ग्राम खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान-326519 जिसका कुल क्षैत्रफल 1800 स्क्वायर फुट है । जिसका पट्टा कार्यालय नगर पालिका रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा कमांक-न.पा.रा./भूमि/नियमन/ आवंटन/957 दिनांक 23.01.2013 से जारी किया गया है जिसका पंजीयन उप पंजीयक रामगंजमण्डी द्वारा दिनांक 31.01.2013 को किया गया है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वौमित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 12.06.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner